

## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BETUL), मध्यप्रदेश

द्रशाष:-

फैक्स

ई-मेलः

क्रमांकः//स्कूल आई.डी. - 82967

दिनांक:-

प्रबंधक.

(Madhyanchal Podar Learn School)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र। महोदय/महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 06/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Madhyanchal Podar Learn School, village panchayat kadai village sonaghati betul को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालाविध के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्ती की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दबा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा, जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशतैं कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - ॰ (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - · (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालाविध के पष्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - · (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिधित करेगा कि-

Signature Not Verified

- · किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- िकसी बालक को बारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंशिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
- अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, बशर्त कि
  वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के
  प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अविध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;

· शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;

NARA प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

Reason: Didially Sign Location: NIC आधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Report Generated from www.educationportal.mp.gov.in/ Date: 05/04/2019

Page 1 of 2

Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal I www.eoucationports

कूल न्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गर्यी

	adding Bladic me and an		NE N		वास्तविक स्थिति	
	सुविधाएँ	पोर्टल से दर्ज				
8	स्कूल के अवन की स्थिति	स्वयं का	भवन		00000	
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट मैं)	88000			88000	
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट मैं)	10000			10000	
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट मैं)	78000			78000	
<b>5</b> .	अधोसंरचना का	विवरण				
· .		Rooms as पोर्टल में दर्ज़		वास्तविक स्थिति		
	कक्ष	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		11	500	11	500
1			5	300	5	300
2	कार्यालय कक्ष-सह-अण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		2	300	2	300
3	भोजनालय-सह-भण्डार				पोर्टल में दर्ज़	वास्तविक स्थिति
FF	अन्य सुविधाएँ			•		
7-	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं			-	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित स्ची अपलोड करें)				हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड व	तरें) <sup>.</sup>			हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या				300	300
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र				6	6
6	पेयजल सुविधा का प्रकार				Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या				4	4
. 8	शौचालय का प्रकार (आरतीय/पश्चिमी/नहीं)				Both Indian & Western	Both Indian & Western
*					6	6
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या				6	6
10	लड़कियों के लिए पृथक शींचालयों की संख्या				2	2
* 11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या				हाँ	हाँ
: 12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं				fs.	

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर.... एवं डाईसकोड (DISE) 23350305906 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्शित
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अंनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्वित करंने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तं संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय, जिला शिक्षा अधिकारी

BETUL

मध्यप्रदेश